

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, चन्दौली

पत्रांक
सेवा में,

दिनांक 30-8-2022

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-चन्दौली।

विषय:- निर्मित सेन्ट थामस स्कूल, गौतम नगर, जनपद-चन्दौली के भवन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्र संख्या-357/एस.टी./मु.वि.अ./शिक्षा दिनांक-17.08.2022
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-89/अइसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक-11.01.2019 तथा संख्या-196/अइसठ-3-2020-2018 दिनांक-29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्मित सेन्ट थामस स्कूल, गौतम नगर, जनपद-चन्दौली के भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षणोंपरान्त प्रथम् दृष्टया विद्यालय भवन संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित है जिसे संलग्नक चेकलिस्ट 22 बिन्दू प्रोफार्मा में अंकित किया गया है। किसी भी प्रकार का वाद-विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। शेष निर्मित भवन के स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन के स्वयं का होगा।
संलग्नक:-चेकलिस्ट 22 बिन्दु प्रोफार्मा में।

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
चन्दौली

पत्रांक

75/2022/2023/AT

दिनांक 30-08-2022

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य, सेन्ट थामस स्कूल, गौतम नगर, जनपद-चन्दौली को उनके प्रार्थना-पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता


प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

चन्दौली
20/8/22

नेशनल बिल्डिंग कोड (भूकम्परोधी) चेकलिस्ट प्रमाण-पत्र

विद्यालय का नाम- सेन्ट थामस स्कूल, गौतम नगर, जनपद-चन्दौली।

क्र०सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है ?	हाँ
2	क्या भवन माचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकार/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिला से अधिक ऊचा है ?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हे० 1800 वर्गमी० है ?	हाँ
5	क्या भवन के चारो तरफर 6 मी० खुला स्थान है ?	नहीं
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट वैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है ?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (अप्रोच रोड) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है ?	3.00 मी०
9	क्या भवन की छत आर०सी०सी० की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गई ?	हाँ
10	क्या भवन की दिवार ईट या पत्थर की सिमेन्ट मसालों से बनीं है ?	हाँ
11	क्या भवन की दिवारों/छतों में कैंक है ?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतो की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.60 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.00 मी०) है ?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउन्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मी० एवं उचाई 4.50 मी० है ?	नहीं
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों के न्यूनतम मॉप (चौड़ाई 1.00 मी० उचाई 2.00 मी०) है ?	हाँ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनमत दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि०मी० ट्रेड 300 मि०मी० तथा राईजर 150 मि०मी० है ?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) तथा आटोमैटिक स्पिन्कलर सिस्टम (Automatic Sprinkler system) उचित स्थान पर लगें है ?	अग्निशमन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है।
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First aid fire fighting Appliances) की व्यवस्था है ?	उपरोक्त
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रषीक्षण दिया जाता है ?	उपरोक्त
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First aid Box) की व्यवस्था है ?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 चन्दौली
 30/8/22